ऑन लाईन नं. RCMS 2017/00

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 20/2021

1. सुखदेव सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगदीश सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति तरखान निवासी गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट दिनांक 15.02.2021 जिसकी रूह से प्रकरण संख्या 05/2021 अन्तर्गत धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम सरकार बनाम सुखदेव सिंह आदि में अपीलांटस की खरीदशुदा भूमि चक 1 बी बडी के मुरब्बा नम्बर 35 के 2.176 हैक्टर पर गलत तौर से अतिक्रमण मानकर यकतरफा तौर पर आदेश जेर अपील पारित करते हुए तावान 839/–रूपया कायम करने व फसल कुर्क निलाम करने का आदेश दिया गया बमुराद मनसूखिया

उपस्थित :

1. श्री विकास बिश्नोई , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :–18.10.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश जेर अपील गलत, खिलाफ कानून , खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। उपरोक्त रकबा जरिये दो बैयनामाजात अपीलांटस का खरीदशुदा है। इस प्रकार अपीलांटस रकबा पर बतौर खरीददार काबिज चले आ रहे है। यदि बैयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज नही हो पाया जो कि फ्रेगमेंट आदि के कारण दर्ज नहीं हुआ तो इससे यह क्यास नही लिया जा सकता कि अपीलांटस ने किसी रकबाराज पर अतिक्रमण कर मौजूदा फसल गेहू काश्त की हो, ना तो खरीद के रोज के बाद अपीलांटस को कभी उपरोक्त भूमि से बेदखल किया गया। कागजात में किसी कारणवंश रकबाराज दर्ज हो गया तो अपीलांटस को किसी प्रकार से अतिक्रमी मानकर कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अपीलांटस को ना तो धारा 22 का कभी कोई नोटिस मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया यदि किसी गलत तामील के आधार पर कार्यवाही की गई तो आदेश जेर अपील यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से व प्रभावित को बिना बुलाए सुने प्रभावित होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। बैयनामा में यह स्पष्ट अंकित है कि विक्रय किया गया रकबा सीलिंग में नहीं आता यदि किसी कारणवंश सीलिंग में मानकर गलत तौर से रकबाराज दर्ज किया गया तो भी अपीलांटस के खिलाफ कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी क्योंकि अपीलांटस बतौर खरीददार है तथा पूरा रकबा खरीद किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कानूनी व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनायी यदि अपीलांटस पर किसी नोटिस की विधिवत् तामील होती तो अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में बैयनामाजात को पेश करते तो किसी प्रकार

से आदेश जेर अपील पारित नहीं किया जाता। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह अंकित नहीं किया कि अपीलांटस ने किस तारीख को कब अतिक्रमण किया है तथा इस पर तुरन्त क्या कार्यवाही की गई केवलमात्र यह लिख देने से कि भूमि पर नाजायज कब्जा कर फसल काश्त कर रखी है किसी प्रकार अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता क्योंकि यदि अपीलांटस ने अतिक्रमण किया होता तो पटवारी तुरन्त प्रभाव से रिपोर्ट करता जबकि अपीलांटस का कब्जा तो खरीद के रोज से निरंतर आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार से करीब 32 साल से अपीलांटस का कब्जा निरन्तर चला आने से अपीलांटस को कानूनन अतिक्रमी नहीं माना जा सकता था यदि सुनवाई का अवसर दिया जाता तो उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समाने लाये जाते तथा किसी प्रकार से आदेश जेर अपील पारित नहीं किया जाता। दिनांक 05.04.2021 को भूमि की फसल कुर्क आदि करने की कार्यवाही होने पर अपीलांटस को सर्वप्रथम यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलांटस के खिलाफ कोई आदेश पारित किया है इस प्रकार पता करके दिनांक 06.04.2021 को नकल की दरख्वास्त दी तथा नकल हासिल कर यह अपील इलम से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त करने एवं अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर देकर कार्यवाही करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि विवादित रकबा जरिये दो बैयनामाजात अपीलांटस का खरीदशुदा है एवं अपीलांट बतौर खरीददार काबिज चले आ रहे है। बैयनामा के आधार पर इंतकाल फ्रेगमेंट के कारण दर्ज नहीं हुआ। अपीलांटस किसी द्वारा रकबाराज पर अतिक्रमण कर गेहूं की फसल काश्त नहीं की क्योंकि उक्त विवादित रकबा पर अपीलांट का खरीद के रोज से कब्जा चला आ रहा है। कब्जा के रोज से आज तक कभी भी अपीलांटस को उपरोक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया। रिकॉर्ड में किसी कारणवंश रकबाराज दर्ज हो जाने से अपीलांटस को किसी प्रकार से अतिक्रमी मानकर कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अपीलांटस को ना तो कभी धारा 22 का कोई नोटिस मिला ना ही बुलाया ना ही सुना गया। आदेश जेर अपील यकतरफा होने न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना ना होने से व प्रभावित को बिना बुलाए सुने प्रभावित होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। बैयनामा में यह स्पष्ट अंकित है कि विक्रय किया गया रकबा सीलिंग में नहीं आता यदि किसी कारणवंश सीलिंग में मानकर गलत तौर से रकबाराज दर्ज किया गया तो भी अपीलांटस के खिलाफ कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी क्योंकि अपीलांटस बतौर खरीददार है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह अंकित नहीं किया कि अपीलांटस ने किस तारीख को कब अतिक्रमण किया है केवलमात्र यह लिख देने से कि भूमि पर नाजायज कब्जा कर फसल काश्त कर रखी है किसी प्रकार अतिक्रमण की परिभाषा में नहीं आता। अपीलांटस ने अतिक्रमण किया होता तो पटवारी 32 वर्ष पूर्व रिपोर्ट करता क्योंकि अपीलांटस का कब्जा तो खरीद के रोज से निरंतर आज तक चला आ रहा है। उपरोक्त रकबा जो आदेश दिनांक 29.10.1996 को सीलिंग में अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया था उस आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 1155/97 मुखत्यार सिंह बनाम स्टेट आदि पेश होने पर निर्णय दिनांक 12.01.2010 को पारित करते हुए आदेश दिनांक 29.10.1996 को जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित किया गया था निरस्त कर दिया गया। इसके उपरोक्त कभी कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान गलत तौर से रकबाराज दर्ज कर दिया गया जबकि दिनांक 29.10.1996 का आदेश निरस्त होने पर स्वतः ही रकबा

अपीलांट का खरीदशुदा होने से उनका कब्जा साधिकार चला आ रहा है। रिट संख्या 1155/97 में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर , गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का चक 1 बी बड़ी भी पक्षकार थे तथा उनको आदेश दिनांक 12.01.2010 की जानकारी उसी राजे हो गई थी, इसके बावजूद तहसीलदार ने आदेश जेर अपील पद का दुरूपयोग करते हुए पारित किया तथा पटवारी व गिरदावर ने दिनांक 15.02.2021 से पूर्व ही फसल को कुर्क कर लिया जो सभी बदनीति को स्पष्ट करता है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 विधिसम्मत् है क्योंकि विवादित रकबा आदेश दिनांक 29.10.1996 को सीलिंग में अधिग्रहण किया गया पर अपीलांट द्वारा नाजायज काश्त की जा रही थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट का आदेश बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। उपरोक्त विवदित रकबा आदेश दिनांक 29.10.1996 को सीलिंग में अधिग्रहण किया गया था। अपीलांटस द्वारा उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 1155/97 मुखत्यार सिंह बनाम स्टेट आदि पेश होने पर निर्णय दिनांक 12.01.2010 को पारित करते हुए आदेश दिनांक 29.10.1996 को जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित किया गया था निरस्त कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 1155/97 अनवानी मुख्तयार सिंह बनाम स्टेट में राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 29.10.1996 को अपने निर्णय दिनांक 12.01.2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की में दिये गये निर्देशानुसार पेटीशनर को एक माह के अन्दर–अन्दर अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था जो करीब 10–11 वर्ष होने के बावजूद आज दिनांक तक अपीलांट द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना ना की हो। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट सीलिंग में अधिग्रहण की गई भूमि पर अतिकमी मानकर राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अपने निर्णय दिनांक 15.02.2021 के तहत जो कार्यवाही की गई है वह विधिसम्मत् है उसमें किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)